Member of Parliament Local Area Development Scheme

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 011-23364197
E-mail : mplads@nic.in

सत्यमेव जयते

स्वच्छ भारत — एक कदम स्वच्छता की ओर

फा.सं. सी-42/विविध/2013-एमपीलैड्स

Dated 20.04.2015

सेवा में,

1. आयुक्त
   कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली नगर निगम
2. सभी जिला कलैक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषयः एमपीलैड्स के तहत एक ही गांव या नगरपालिका में एक से अधिक सामुदायिक केन्द्र का निर्माण ।

महोदय,

एमपीलैड्स योजना के तहत एक गांव में एक से अधिक सामुदायिक भवन के निर्माण को निषिद्ध करने के लिए मंत्रालय में संदर्भ प्राप्त हुआ है । इस मामले पर मंत्रालय में विचार किया गया है । यह निर्णय किया गया है कि:-

(i) एमपीलैड्स निधियों का एक गांव में केवल एक ही सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए उपयोग किया जा सकता है । ('गांव' से तात्पर्य है कोई 'राजस्व गांव')

(ii) ऐसे गांव में जहां एक या अधिक सामुदायिक भवन पहले से ही मौजूद हो, चाहे वो एमपीलैड्स निधियों या किसी अन्य केन्द्र/राज्य सरकार की योजना से निर्मित हो, आगे कोई भी सामुदायिक भवन एमपीलैड्स निधियों से निर्मित नहीं किया जा सकता ।

(iii) एमपीलैड्स निधियों से निर्मित सामुदायिक भवन, स्थानीय समुदाय के सभी सदस्यों को बिना किसी प्रतिबंध के सुलभ होगा ।

2. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

भवदीय,

तपन मित्र

(तपन मित्र)
निदेशक (एमपीलैड्स)

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा)
2. सचिव, एमपीलैड्स का काम देख रहे नोडल विभाग (सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)
3. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. एमपीलैड्स प्रभाग में सभी संबंधित अधिकारी ।
6. एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए एनआईसी को ।